न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्री रांजीव कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :— 57 / 2024

उनवान

1. सुरेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नं0 33, शाहपुरा तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

— वादी

बनाम

1. रामसहाय जाट पुत्र श्री घासीराम उम्र 55 वर्ष
2. कैलाश पुत्र घासीराम उम्र 48 वर्ष
3. मोहन पुत्र घासीराम उम्र 45 वर्ष
4. महेश पुत्र घासीराम उम्र 40 वर्ष
5. गणपत पुत्र भैरूराम जाट

समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नं0 33, शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा—188 आरटीएक्ट

आदेश दिनांक 19/2/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है यह कि हाल आराजी खाता सं0—1233 के खसरा नं0—2951 रकबा 0.18 है०, 2952 रकबा 0.16 है0, 2957 रकबा 0.28 है0, 3000 रकबा 0.15 है0, 3020 रकबा 0.15 है0, 3059 रकबा 0.23 है0, 3068 रकबा 0.12 है0, 5824 / 3033 रकबा 0.11 है0, 5826 / 3033 रकबा 0.07 है0, 5828 / 2994 रकबा 0.08 है0, 5830 / 2995 रकबा 0.08 है0, 5831 / 3034 रकबा 0.0250 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 1.6350 है वाके ग्राम शाहपुरा तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित हाल आरजी ख0न0 3020 रकबा 0.15 है0 वादी की कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी स्थित है, जिससे लगता हुआ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की आराजी ख0न0 2999 स्थित है तथा आ0ख0न0 3000 प्रतिवादी संख्या 5 की आराजी स्थित है। वादी की आराजी खसरा न0 3020 में प्रतिवादीगण आराजी की सींव, डोल को काटकर अपनी आराजी में मिलाने पर आमादा रहते है, जिसके चलते वादी की आराजी ख0न0 3020 में प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में आराजी के कुछ भाग पर सींव डोल को काटकर ट्रेक्टर से जुताई की गई है जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण का उलहाना दिया गया तो प्रतिवादीगण ने आगे से सींव डोल नहीं काटने व आराजी की जुताई पूर्व स्थिति के अनुसार ही करने का वादी को आश्वासन दिया गया। प्रतिवादीगण वादी के पडौसी खातेदार है,और प्रतिवादीगण की आराजी की सीमा वादी की आराजी ख0न0 3020 से लगती हुई होने के कारण प्रतिवादीगण सदैव वादी की आराजी पर जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के आशय से हर बार ट्रेक्टर चलाकर आराजी की सींव डोल को काटकर अपनी आराजी में मिलने पर आमादा रहते है, इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन करते हुए जाहिर किया कि वादी ने अपनी आराजी में करीब 2 माह पूर्व बाजरे की फसल की बुवाई की गई और वादी दिनांक 06.07.2024 को समय करीब 10.00 ए.एम. बजे अपनी बाजरे की फसल के तार बाउण्ड्री कर रहा था तभी प्रतिवादीगण एकराय होकर हाथों में लाठी, फरसी, फावडे सरिये इत्यादि लेकर वादी की आराजी पर जबरन आ धमके और वादी की जोर जोर से गन्दी गन्दी अश्लील गाली गलौच कर वादी के साथ मारपीट करने पर आमादा हो

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज0

गये और वादी की आराजी में लगी सीमेन्ट की खम्भियों को जबरन फावडे से खोदकर उखाड दिया गया । जिसका वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ओर अधिक से गुस्से में आ गये एलानियॉ देकर गये है कि हम लोग जल्दी ही एकराय होकर तुम्हारे हक अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा कर आराजी पर तार बाउण्ड्री करेगे और तुम्हे तुम्हारे हक अधिकार की आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर लेगें और तुम्हे जान से खत्म कर देगे । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर जबरन लठ के जोर से अतिक्रमण कर पुख्ता तार बाउण्ड्री कर आराजी पर कब्जा कर वादी को आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत निवेदन किया गया । अन्त में वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे व स्वामित्व की हाल खसरा नम्बर 3020 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम शाहपुरा जिला जयपुर के किसी भाग पर दौराने दावा प्रतिवादीगण आराजी में खम्भी लगाकर तार बाउण्ड्री करने व आराजी पर अतिक्रमण करने में सफल हो जाते है तो उन्हे जरिये प्रतिवादी संख्या 6 से आराजी से अतिक्रमण हटवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की तामिल हो चुकी है जो बाद तामिल व सूचना के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण वास्ते बहस हेतु नीयत किया गया । वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अकिंत तथ्यो को दोहराते हुये तथा दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुए वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, जमाबंदी, का अवलोकन किया अवलोकन उपरांत जाहिर होता हैं कि वकील वादी द्वारा पेश वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी खसरा नं0–, 3020 रकबा 0.15 है0, वाके ग्राम शाहपुरा तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार है । प्रतिवादीगण, वादी की उक्त आराजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3020 रकबा 0.15 है०, के पडौसी खातेदार होने से प्रतिवादीगण अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा रहने से यह वादपत्र पेश किया है, तथा प्रतिवादीगण के द्वारा बावजूद तामिल के प्रकरण में उपस्थित होकर कोई जवाबदावा पेश नहीं किया है जिससे वादी का वादपत्र साबित होता है,। वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा सींवडोल काटकर अपनी भूमि में मिलाने का कोई अधिकार नहीं है। आये दिन वादी के साथ उसकी खातेदारी भूमि में काश्त हेतु परेशानी पैदा करने एवं सींव काटकर अपने खेत में मिलाने तथा वादी को शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचनो के फलस्वरूप दावा वादी के हक में डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 3020 रकबा 0.15 है०, वाके ग्राम शाहपुरा तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर वादी के कब्जे काश्त व उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । वादी की आराजी में जबरन घुसकर कोई खम्भी नही लगाये व तार बाउण्ड्री कर आराजी पर जबरन कब्जा नही करे वादी को पूर्व की भॉति आराजी मुतनाजा का उपयोग उपभोग करने देवे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर राज0

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 57/2024

उनवान

1. सुरेश कुमार पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नं0 33, शाहपुरा तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– वादी

बनाम

1 रामसहाय जाट पुत्र श्री घासीराम उम्र 55 वर्ष
2. कैलाश पुत्र घासीराम उम्र 48 वर्ष
3. मोहन पुत्र घासीराम उम्र 45 वर्ष
4. महेश पुत्र घासीराम उम्र 40 वर्ष
5. गणपत पुत्र भैरूराम जाट
समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नं0 33, शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188 आरटीएक्ट

आदेश दिनांक 15/2/2025

अतः उपर्युक्त विवेचनो के फलस्वरूप दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 3020 रकबा 0.15 है०, वाके ग्राम शाहपुरा तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर वादी के कब्जे काश्त व उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । वादी की आराजी में जबरन घुसकर कोई खम्भी नही लगाये व तार बाउण्ड्री कर आराजी पर जबरन कब्जा नही करे वादी को पूर्व की भाँति आराजी मुतनाजा का उपयोग उपभोग करने देवे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज0

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज0